NT>

Title: Need to continue the forest projects and to transfer the ownership of these projects to Andaman & Nicobar Administration.

श्री विणु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने फॉरैस्टी के ऊपर जो जजमैंट दिया, उसे लेकर देश के दूसरे भागों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी एक पागलपन फैला। अंडमान और निकोबार में फॉरैस्ट प्रोजैक्ट बंद होने से करीब तीन हजार मजदूर बेकार हो चुके हैं। वहां फॉरेस्ट कारपोरेशन जिसे मिनी रत्न एवार्ड मिला था, का फॉरैस्टी प्रोजैक्ट बंद कर दिया जबकि वह वायबल था। 7 मई के बाद फॉरेस्टी ऑपरेशन बंद हो गया जिससे Forest Development Corporation के करीब दो हजार मजदूरों और कर्मचारियों का भविय अंधेरे में हो गया जिस की किसी को कोई चिन्ता नहीं है कि उन लोगों का क्या होगा। इस सिलसिले में 22 जनवरी 1996 को आईडीए की IX मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि वहां का प्रशासन इसे टेक ओवर करें। लेकिन इस decision को अभी तक अमल में नहीं लाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तक 50 हजार बेरोजगार नवयुवक रोजगार कार्यालय में नाम लिखवा चुके हैं। वहां के ट्रॉपिकल फॉरैस्ट्स का दुनिया भर में नाम है। लेकिन वह ऐसे रहने वाला नहीं है। बेकारी के कारण भूखे लोगों का पेट नहीं भरेगा। जंगल कटेंगे। बेरोजगार नवयुवक विदेशी हमलावरों के साथ मिल कर पोचर्स बनेंगे, टैरारिस्ट बनेंगे, नक्सलवादी बनेंगे। इस कारण Forest Dev. Corporation को Andaman Administration take over करें और सभी कर्मचारियों को नौकरी सुनिश्चित करें।